



संख्या: १५३ / आ०ब०-१ / निदेशक / 2023-24

दिनांक 06 मई, 2024

प्रेषक,

बैठक दिनांक 07.05.2024

निदेशक,  
आवास बन्धु,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- |   |  |
|---|--|
| 1. उपाध्यक्ष,<br>लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ,<br>गाजियाबाद एवं गोरखपुर विकास प्राधिकरण,<br>उत्तर प्रदेश। | 2. अपर आवास आयुक्त,<br>उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,<br>लखनऊ। |
| 3. वित्त नियंत्रक,<br>उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,<br>लखनऊ।   | 4. वित्त नियंत्रक,<br>लखनऊ विकास प्राधिकरण,<br>लखनऊ।         |

विषय: अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण के संबंध में नीति-निर्धारण हेतु दिनांक 07.05.2024 को अपरान्ह 2.30 बजे आहूत बैठक में प्रतिभाग किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण के संबंध में वर्तमान में लागू कार्स्टिंग गाइडलाइन्स एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों का अध्ययन कर नई विस्तृत एवं व्यवहारिक कार्स्टिंग गाइडलाइन्स तैयार किये जाने हेतु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 01.05.2024 को हुई बैठक का संज्ञान लेने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में अवगत कराना है कि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की अलोकप्रिय सम्पत्तियों के संबंध में नीति निर्धारण से संबंधित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा दिनांक 10.05.2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे बैठक आहूत की गयी है। अतः उक्त के दृष्टिगत दिनांक 01.05.2024 को हुई उक्त बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर स्थिर किये गये मत को अन्तिम रूप दिये जाने हेतु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा समिति की बैठक दिनांक 07.05.2024 को अपरान्ह 2.30 बजे उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय स्थित सभाकक्ष में आहूत की गई है, जिसमें लखनऊ से बाहर के अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन प्रतिभाग किया जायेगा।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त प्रस्तावित बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। उक्त बैठक में ऑनलाइन प्रतिभाग किये जाने हेतु लिंक यथासमय उपलब्ध करा दिया जायेगा।


भवदीय,

  
06/05/2024  
(रवि जैन)  
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सुश्री स्तुति, मैसर्स डेलाइट इण्डिया को बैठक में प्रतिभाग करने हेतु प्रेषित।

  
(रवि जैन)  
निदेशक